



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032022-234348
CG-DL-E-22032022-234348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943

No. 1180]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 1220(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले के NH-930P हैदराबाद ओआरआर ([गौरैली पर इंटरचेंज, (वेलिगोंडा-थोरूर-नेल्लीकुदुर-महबूबाबाद-येलन्दु-कोथागुडेम जंक्शन पर)] के कि.मी. 82.375 से कि.मी. 94.650 तथा कि.मी. 95.640 से कि.मी. 99.900 तक वेलिगोंडा-थोरूर खंड के पेव्ड शोल्डर सहित 2/4 लेन में चौड़ीकरण के साथ पुनर्वास और उन्नयन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन हेतु यह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सूर्यपेट, रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, सूर्यपेट (82.375 से कि.मी. 94.650 तथा कि.मी. 95.640 से कि.मी. 99.900) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में NH-930P के कि.मी. 82.375 से कि.मी. 94.650 तथा कि.मी. 95.640 से कि.मी. 99.900 तक (आरडीओ-सूर्यपेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: सूर्यपेट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: तिरुमालागिरि					
गांव का नाम: अनंतराम					
1	76/1	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	805.5370000(वर्ग मीटर)	0.0805537
2	76/13	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	700.2940000(वर्ग मीटर)	0.0700294
3	76/14	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	1,159.8900000(वर्ग मीटर)	0.1159890
4	76/15	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	263.3470000(वर्ग मीटर)	0.0263347
5	76/27	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	2.1000000(वर्ग मीटर)	0.0002100
6	76/29	सरकारी(लावणी पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	177.9740000(वर्ग मीटर)	0.0177974
7	78	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	13.2340000(वर्ग मीटर)	0.0013234
8	79	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	1,089.4960000(वर्ग मीटर)	0.1089500
गांव का नाम: मामिडियाला					
1	416	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	102.0680000(वर्ग मीटर)	0.0102068
2	472	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	1,632.2920000(वर्ग मीटर)	0.1632290
3	473	निजी(पट्टा)	आर्द्र(कृषि भूमि)	893.7690000(वर्ग मीटर)	0.0893769

गांव का नाम: तिरुमालगिरी					
1	467	निजी(पट्टा)	सूखा(गैर कृषि भूमि)	21.7750000(वर्ग मीटर)	0.0021775
2	482	निजी(पट्टा)	आर्द्र(गैर कृषि भूमि)	23.5340000(वर्ग मीटर)	0.0023534
कुल				6,885.3100	0.6885

[फा. सं. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 1220(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Rehabilitation and upgradation, by widening to two-lane with paved shoulder/four laning, etc.), maintenance, management and operation of Valigonda-Thorrur section of NH-930P in the stretch of land from Km. 82.375 to Km. 94.650 and Km. 95.640 to Km. 99.900 Junction at Hyderabad ORR (Interchange at Gowrelly) Valigonda-Thorrur-Nellikudur-Mahabubabad-Yellandu-Kothagudem junction at NH-930P in the SURYAPET district of in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SURYAPET, Revenue Divisional officer, Suryapet (82.375 to Km. 94.650 & Km. 95.640 to Km. 99.900 of NH930P) in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-930P in the stretch of land from Km. 82.375 to Km. 94.650 & Km. 95.640 to Km. 99.900 (RDO-Suryapet) in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: SURYAPET			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Tirumalagiri					
Village: Anantharam					
1	76/1	Government (lavani patta)	Wet (Agriculture land)	805.5370000 (Square Meter)	0.0805537
2	76/13	Government (lavani patta)	Wet (Agriculture land)	700.2940000 (Square Meter)	0.0700294
3	76/14	Government (lavani patta)	Wet (Agriculture land)	1,159.8900000 (Square Meter)	0.1159890
4	76/15	Government (lavani patta)	Wet (Agriculture land)	263.3470000 (Square Meter)	0.0263347

5	76/27	Government (Lavuni patta)	Wet (Agriculture land)	2.1000000 (Square Meter)	0.0002100
6	76/29	Government (lavani patta)	Wet (Agriculture land)	177.9740000 (Square Meter)	0.0177974
7	78	Private (patta)	Dry (Agriculture land)	13.2340000 (Square Meter)	0.0013234
8	79	Private (patta)	Dry (Agriculture land)	1,089.4960000 (Square Meter)	0.1089500
Village: Mamidiyala					
1	416	Private (patta)	Dry (Agricultural land)	102.0680000 (Square Meter)	0.0102068
2	472	Private (patta)	Wet (Agriculture land)	1,632.2920000 (Square Meter)	0.1632290
3	473	Private (patta)	Wet (Agriculture land)	893.7690000 (Square Meter)	0.0893769
Village: Tirumalagiri					
1	467	Private (Patta)	Dry (Non Agriculture land)	21.7750000 (Square Meter)	0.0021775
2	482	Private (patta)	Wet (Non Agriculture land)	23.5340000 (Square Meter)	0.0023534
Total				6,885.3100	0.6885

[F. No. 589/DPR/Gowrelly-Valigonda/DCE/EE/DEE1/AEE1/NH/2017/1/3A2]

RAJESH GUPTA, Director